बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन रांची के वेलफेयर सेन्टर में बृहस्पतिवार, तिथि ५ जुलाई, १९५२ को ९ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ।

Oath of allegiance to the constitution of India.

(१) श्री चन्द्र शेखर सिंह ।

(२) श्री हरदयाल शर्मा ।

उपरोक्त दोनों सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया।

अध्यक्ष द्वारा स्वागत भाषण ।

Welcome address by the Speaker.

अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण, भारतीय संविधान के अन्तर्गत प्रथम बिहार विधान सभा के दशम् सत्र के अवसर पर रांची के मनोरम वातावरण में आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। १९५२ के चुनाव के बाद रांची में विधान सभा की यह पहली बैठक है। जिन कठिनाइयों का सामना करते हुए अधिवेशन को यहां बुलाया गया है उनसे आपलोग अनभिज्ञ नहीं होंगे। सत्र बुलाने की सूचना भी बहुत देर से मिली और सूचना मिलने तथा सभा की बैठक बुलाने के दिन के बीच बहुत ही अल्प समय मिल सका।

इतनी अल्प अवधि में सभा की बैठक के लिए इन्तजाम में बहुत-सी त्रुटियां रह गई। आपलोगों के निवास स्थान के लिए समुचित प्रबन्ध नहीं हो सका। ओल्ड हाउस में, जहां असेम्बली की बैठकें हुआ करती थीं, सभा की बैठक के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। इसलिए वेलफेयर सेन्टर को सभा भवन के लिए चुना गया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपलोग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उदारता-पूर्वक भूलों और त्रुटियों का ख्याल नहीं करेंगे।

जैसा कि आपलोगों को विदित है इस अधिवेशन का प्रयोजन एक विशेष महत्वपूर्ण कार्य से सम्बन्धित है। इस कार्य के लिए भी समय की पाबन्दी है। अतएव प्रश्नों के लिए नियत घंटे के सम्बन्ध में मेरा आदेश है कि इस सत्र में प्रश्न नहीं लिए जायेंगे। पिछले सत्रों से रुके हुए अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा के सामने प्रस्तुत किए जायेंगे। मुझे उम्मीद है कि पहले की भांति आपलोगों का पूरा सहयोग मुझे प्राप्त होगा।

घेरे हुए स्थानों को सदन सीमा के बाहर समझा जायगा।

सदस्यों के बोलने का स्थान सचिव के आगे रखा गया है। जो सदस्य पुकारे जायेंगे वे उसी स्थान पर आकर बोलेंगे।

संथाल परगना के अस्पतालों का प्रान्तीयकरण ।

६२ । श्री जानकी प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि इस राज्य के अन्दर सभी सबडिवीजनल अस्पतालों को वह अपनी देख-रेख में कर लेगी;

(२) यदि हाँ, तो संथाल परगना जिला के अन्दर उसने कितने सबडिवीजनल अस्पतालों का अभी तक प्रान्तीयकरण किया है;

(३) क्या यह बात सही है कि जिन अस्पतालों का अभी तक प्रान्तीयकरण किया गया है उनमें से सिर्फ देवघर अस्पताल में एक्सरे का प्रबन्ध है;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिले के बाकी सबडिवीजनल अस्पताल को कब तक अपनी देख-रेख में करेगी, तथा उन सभी अस्पतालों में एक्सरे का प्रबन्ध कब तक करेगी ?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) सरकार ने सभी सबडिवीजनल अस्पतालों को अपनी देख-रेख में कर लिया है ।

(२) संथाल परगना के सभी ५ सबडिवीजनल अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हो चुका है ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(४) ये सभी सबडिवीजनल अस्पतालों में एक्सरे का प्रबन्ध करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

गया के असैनिक शल्य-चिकित्सक के विरुद्ध आरोप ।

63. Shri **MUNDRIKA SINGH** : Will the Health Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that there is a great dissatisfaction among the local public of Gaya against the Civil Surgeon, Gaya and hand-bill has been circulated in the town listing a number of charges against him;

(2) if the answer to the above clause be in the affirmative what steps Government propose to take in the matter ?

श्री हरिनाथ मिश्र—(१) और (२) यह सत्य नहीं है कि गया की स्थानीय जनता में असैनिक शल्य-चिकित्सक के प्रति घोर असन्तोष है । हां, बिना हस्ताक्षर के पर्चे शहर में वितरित हुए हैं जिसमें उनके विरुद्ध कतिपय दोषारोपण किये गये हैं ।

सरकार हस्ताक्षर रहित अप्रत्यक्ष आवेदन-पत्रों एवं पर्चों पर कारवाई नहीं करती ।